

प्रेषक,

रेखा शर्मा,

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-4,

फरुखबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,

फरुखबाद।

विषय- शासनादेश संख्या 8/2018/27/दो-4-2018-45(12)/91 टी०सी०दिनांकित
13-4- 2018 के आलोक में आवेदक के एल०एल०एम० उपाधि धारक
होने के आधार पर 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर निवेदन है कि मेरा चयन उ०प्र० उच्चतर न्यायिक
सेवा में वर्ष 2016 में हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञाप्ति के अनुसार
मैंने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०- 8 के पद पर कार्यभार दिनांक
19/2/2018 को ग्रहण किया है। मेरे द्वारा दिल्ली विश्व विद्यालय से वर्ष 2013 में
एल०एल०एम० की उपाधि प्राप्त की गयी है जो कि मेरे सेवा में आने पूर्व प्राप्त की
गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु एल०एल०एम० उपाधि एवं अंकपत्र वर्ष 2013 की छाया
प्रति सलंग्र की जा रही है।

महोदय शासनादेश संख्या-8/ 2018/ 279/ दो - 4- 2018 - 45 (12) /91
टी०सी० दिनांकित 13.04.2018 के अनुसार ऐसे न्यायिक अधिकारी, जो सेवा में
आने से पूर्व एल०एल०एम० की उपाधि रखते हैं, उन्हें सेवा में आने के दिनांक से
अथवा शासनादेश लागू होने के दिनांक से जो लागू हो, अथवा ऐसे न्यायिक
अधिकारी जो सेवा में आने के उपरान्त एल०एल०एम० की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं,
उन्हें उपाधि प्राप्त करने के दिनांक से 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने का
प्रावधान है।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार मुझे
एल०एम०एम० उपाधि धारक होने के आधार पर उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 19-02-2018 से 03 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्रदान

किये जाने हेतु मेरा प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक- 21-03-2020

भवदीया,

*Khanna
(रमेखा शर्मा) 21/03/2020*

विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-४,
फरुखाबाद।

दिनांक / / 2020

सलंग्रह-

- 1- कार्यभार ग्रहण करने के प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
- 2- एल०एल०एम० उपाधि एवं अंकपत्र की छाया प्रति।
- 3-शासनादेश 8/2018/279/दो-4-2018-45(12)/91 टी०सी०दिनांकित 13.4.2018 की छाया प्रति।

शाकाखब रामचंद्र न्यायाधीश
संस्थान 826/I दिनांक- 21-03-2020
प्रधारित
रामचंद्र न्यायाधीश
न्यायालय
21-03-2020